न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर०ए०एस

मुकदमा नं0 22/2020

1. मानसिंह
2. बिजेन्द्र सिंह पिसरान श्यामलाल जाति मल्हा (निषाद) निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

1. आसीया पुत्री सुलेमान
2. मौहम्मदा पुत्र महतू
3. अख्तर पुत्र सम्मा उर्फ सम्मी खां
4. अब्दुल रहीम पुत्र सलेमी
5. अयूब पुत्र सलेमी
6. आजाद पुत्र सम्मा उर्फ सम्मी खां
7. आमीन पुत्र सलेमी
8. इब्राहीम पुत्र करीम खां
9. ईशब पुत्र सलेमी
10. उमर मौहम्मद पुत्र ईदू
11. जैतूनी पुत्री रहीम खा
12. जुम्मे खां पुत्र रहीम खां (मृतक)
    12/1 रमजान
    12/2 अरसद
    12/03 जुबेर पिसरान जुम्मे खां
13. जाबेद पुत्र ईदू
14. महमूदा पत्नी रहीम खां (मृतक)
15. युनूस पुत्र सलेमी
16. याकूब पुत्र रहीम खां
17. रसीद पुत्र रहीम खां (मृतक)
    17/1 आंसू
    17/2 आरिफ
    17/3 सैफी पिसरान रसीद
18. रहीस पुत्र ईदू
19. साहिब पुत्र सम्मा उर्फ सम्मी खां
20. हारिस पुत्र ईदू
21. अब्दुल पुत्र सुबान खां
22. आसब पुत्र कमरू
23. कमरू पुत्र सुबान खां
24. जाकर पुत्र सुबान खां

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

25. भगतसिंह पुत्र केसर सिंह (मृत्तक)
26. सुगरा पुत्र सुबान खां (मृत्तक)
26/1 मुबीन
26/2 अजरू पिसरान सुगरा
27. असरू पुत्र भोंदू जाति मेव निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर) राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री बृजलाल शर्मा वकील प्रार्थीगण
2. श्री मौहम्मद खां वकील अप्रार्थीगण संख्या 1,27
3. श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थीगण संख्या 4,5,7,8,11,13,16

दिनांक :21/12/2021

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि पूर्व में आराजी खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.24 हैक्टर प्रार्थी मानसिंह 1951 मिन/0.05 हैक्टर सुलेमान वगैराह , 1951 मिन/0.19 हैक्टर प्रार्थी बिजेन्द्र सिह , 1951 मिन/0.10 हैक्टर रहीम खां वगैराह की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी एवं आराजी खसरा नम्बर 1952/1मिन/0.41 हैक्टर , असरू पुत्र झारू ,1952/0.34 हैक्टर भगतसिंह पुत्र केशर सिंह 1/3 हिस्सा, हमीद पुत्र इस्माईल 5/12 हिस्सा , कमरू–सुगरा–जाकर पिसरान सुलेमान वाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्सा , बिजेन्द्र पुत्र श्यामलाल प्रार्थी नं0 2 1/12 हिस्सा की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। भू प्रबन्धक विभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित नम्बरान मद नं0 1 प्रार्थना पत्र के नये नम्बर क्रमशः 1951मिन/0.24 का 2585/0.24, 1951 मिन/0.05 का 2588/0.05, 1951 मिन/0.19 का 2586/0.19, 1951 मिन/0.10 का 2587/0.10 एवं 1952/0.11 का 2584/0.06 व 2635/0.05 के नये नम्बर एवं 1952 मिन/0.34, के नये नम्बर क्रमशः 2639/0.26, 2635/0.08, बना दिये गये है। जिसके आधार पर 2585/0.24 प्रार्थी मानसिंह के नाम 2588/0.05 पर अप्रार्थी गण नम्बर 1 व 2 आसीया पुत्री सुलेमान, मौहम्दा पुत्र महतू के नाम 2686/0.19 प्रार्थी बिजेन्द्र के नाम 2587/0.10 अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 20 के नाम 2584/0.06 , अप्रार्थी संख्या 27 के नाम 2635/0.05 कैथवाडा से अमरूका की सडक के एवं खसरा नम्बर 2639/0.26, अप्रार्थीगण संख्या 21 लगायत 26 के नाम व 2635/0.08 सडक कैथवाडा से अमरूका के नाम दर्ज कर दिया गया है। भू प्रबन्धक विभाग द्वारा पुराने नम्बर 1951, 1952 के नये नम्बरान बनाते

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

हुये जो नजरी नक्शा नये नम्बरान का बनाया गया है व नक्शा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मौका व कब्जे के विपरीत बनाया गया है। जो कि कतई गलत खिलाफ कानून व मौका व कब्जा है जिसमें प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी है। विधि वजह प्रार्थीगण दावीदार है एवं ख0न0 1951 व 1952 के भू प्रबन्धक विभाग द्वारा बनाये गये नये नम्बरान बनाकर जो नजरी नक्शा बनाया गया है उसे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने मौका व कब्जा के आधार पर दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है। भू प्रबन्धक विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1951 व 1952 के नये नम्बरान बनाते हुये नये नम्बरान को नजरी नक्शा में गलत दर्शाया गया है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण जबरदस्ती नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से नये गलत नक्शा के आधार पर नाजायज कब्जा कर निर्माण कार्य करने पर उतारू है जिसकी बाबत अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को दिनांक 17/8/2020 को ऐलानिया धमकी दी है। यदि अप्रार्थीगण अपनी धमकी भरे नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद या अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी। विधि वजह प्रार्थीगण अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि वे हाल नये खसरा नम्बर 2585/0.24, 2588/0.05, 2586/0.19, 2587/0.10, 2584/0.06, 2639/0.23 हैक्टर में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कर कब्जा नहीं करे एवं उक्त नम्बरान की बाबत ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक प्रार्थीगण जायल हो। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 2585/0.24, 2588/0.05, 2586/0.19, 2587/0.10, 2584/0.06, 2639/0.23 हैक्टर भू प्रबन्धक विभाग द्वारा बनाये गये नक्शे को प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के मौका व कब्जे के आधार पर दुरूस्त फरमाया जाकर नजरी नक्शा में संशोधन किये जाने की इजाजत फरमाई जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2,3,6,9,10,12/1, 12/2, 12/3, 15,17/1, 17/2, 17/3, 18 लगायत 24, 26, 26/1, 26/2 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये । उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1,27,4,5,7,8,11,13,16 मय वकील उपस्थित न्यायालय आये ।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से झूठे तथ्यों के आधार पर अदालत में प्रस्तुत किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। भू प्रबन्धक विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बरान के जो नये नम्बर बनाते हुए जो नजरी नक्शा तैयार किया गया है वह नजरी नक्शा मुताबिक मौका कब्जा अनुसार ही तैयार किया गया है इसलिए भू प्रबन्धक नक्शा में संशोधन कराये जाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीया अपने खसरा नम्बर पर शान्ति पूर्वक तरीके से काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। शेष अप्रार्थीगण ने जबाब पेश नहीं किया इसलिए उनका जबाब बन्द किया गया।

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार पहाडी से मौका रिपोर्ट ली गई । मौका रिपोर्ट दिनांक 13/07/2021 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 2584/0.06, 2585/0.24, 2586/0.19, 2587/0.10, 2588/0.05, 2639/0.26, बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम उक्त आराजी खसरा नम्बर के हाल साविक निम्न प्रकार है साविक खसरा नम्बर 1951 /0.58 हाल खसरा नम्बर 2585/0.24, 2586/0.19, 2587/0.10, 2588/0.05, एवं साविक खसरा नम्बर 1952/0.45 हाल खसरा नम्बर 2639/0.26, 2584/0.06, 2635/0.13, खसरा नम्बर 2588/0.05 खसरा नम्बर 2585 के दक्षिण दिशा में स्थित है एवं सडक के पूर्व में लगता हुआ है। खसरा नम्बर 2587/0.10 खसरा नम्बर 2585 के पूर्व दिशा में स्थित है एवं मौके पर फीता चलाकर पाया कि खसरा नम्बर 2587/0.15 है एवं खसरा नम्बर 2585 व 2588 का रकबा कुल 0.24 है खसरा नम्बर 2585 व 2588 पर मानसिंह पुत्र श्यामलाल कब्जे काश्त है मौके पर खसरा नम्बर 2587/0.15 रहीम खां वगैराह, आसीया पुत्री सुलेमान,मौहम्मदा पुत्र महतू कब्जे काश्त हैं खसरा नम्बर 2584/0.06 के मौके पर फीता चलाकर पाया की खसरा नम्बर 2584 लगभग 0.02 एयर मौके पर प्रत्यदर्शियों व गवाहों के अनुसार खसरा नम्बर 2584/0.06 पर असरू पुत्र भौंदू के स्थान पर बिजेन्द्र पुत्र श्यामलाल जाति मल्हा, खसरा नम्बर 2584/0.02 पर कब्जे काश्त है। शेष रकबा 0.04 हैक्टर खसरा नम्बर 2639 में विलीन है। खसरा नम्बर 2635 रकबा 0.96 हैक्टर गैर मुम0 सडक रिकॉर्ड दर्ज है जबकि साविक खसरा नम्बर 352 कुल रकबा 0.45 है0 में से 0.13 हैक्टर , मुताबिक मिलान खसरा साविक खसरा नम्बर 1952/1/मिन/0.05 है। खसरा नम्बर 2635/0.96 हैक्टर गैरमुमकिन सडक में 0.05 हैक्टर असरू पुत्र भौंदू के दर्ज रिकॉर्ड है । चूंकि असरू पुत्र भौंदू खसरा नम्बर 2639/0.26 हैक्टर उत्तर पश्चिम दिशा में 0.11 हैक्टर में विराजमान हैं । इससे स्पष्ट होता है कि गैर0मुम0 सडक में असरू पुत्र भौंदू का रकबा नहीं है। अतः गैर मुम0 सडक खसरा नम्बर 2635 में असरू के स्थान पर अब्दुल पुत्र सुबान खां , आसब पुत्र कमरू, कमरू पुत्र सुबान खां, जाकर पुत्र सुबान खां , सुमरा पुत्र सुबान खां जाति मेव का हिस्सा आता है। चूँकि खसरा नम्बर 2639 रकबा 0.26 हैक्टर के पूर्वी में (हिस्से में) उपरोक्त काश्तकार मौजूद है। कब्जे काश्त हैं। खसरा नम्बर 2639 रकबा 0.26 हैक्टर रिकॉर्ड दर्ज है जबकि मौके पर रकबा 0.30 हैक्टर है। खसरा नम्बर 2639/0.30 हैक्टर में से उत्तर पश्चिम दिशा में असरू पुत्र भौदू 0.11 हैक्टर पर काबिज काश्त है, खसरा नम्बर 2639 के एक तिहाई हिस्से पर भगवत पुत्र केसर सिंह जाति सिक्ख साकिन कैथवाडा खातेदार स्थित है। मौके पर उपस्थित शेष रकबे में (सडक से सटा हुआ) अब्दुल, कमरू, जाकर,सुमरा, पिसरान सुबान खां, आसब पुत्र कमरू, जाति मेव निवासी कैथवाडा कब्जे काश्त है। खसरा नम्बर 2639 के रिकॉर्ड में स्थित बिजेन्द्र पुत्र श्याम लाल हिस्सा 1/12 कलमजन कर खसर नम्बर 2584 रकबा मौका 0.02 हैक्टर पर स्थित है। मौके पर उपस्थित लोगो के हस्ताक्षर व अंगूठा कराये गये और मौका पर्चा पढकर सुनाया गया।

तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1 ने आपत्ति पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की आपत्ति पर पुनः तहसीलदार पहाड़ी से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

तहसीलदार पहाडी ने पुनः दिनांक 25/11/2021 को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि आराजी खसरा नम्बर 2584/0.06, 2585/0.24, 2586/0.19, 2587/0.10, 2588/0.05, 2639/0.26, बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम उक्त आराजी खसरा

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर के हाल साविक निम्न प्रकार है साविक खसरा नम्बर 1951 /0.58 हाल खसरा नम्बर 2585/0.24, 2586/0.19, 2587/0.10, 2588/0.05, एवं साविक खसरा नम्बर 1952/0.45 हाल खसरा नम्बर 2639/0.26, 2584/0.06, 2635/0.13, खसरा नम्बर 2588/0.05 खसरा नम्बर 2585 के दक्षिण दिशा में स्थित है एवं सडक के पूर्व में लगता हुआ है। खसरा नम्बर 2587/0.10 खसरा नम्बर 2585 के पूर्व दिशा में स्थित है एवं मौके पर फीता चलाकर पाया कि खसरा नम्बर 2587/0.15 है एवं खसरा नम्बर 2585 व 2588 का रकबा कुल 0.24 है खसरा नम्बर 2585 व 2588 पर मानसिंह पुत्र श्यामलाल कब्जे काश्त है मौके पर खसरा नम्बर 2587/0.15 रहीम खां वगैराह, आसीया पुत्री सुलेमान,मौहम्मदा पुत्र महतू कब्जे काश्त हैं खसरा नम्बर 2584/0.06 के मौके पर फीता चलाकर पाया की खसरा नम्बर 2584 लगभग 0.02 एयर मौके पर प्रत्यदर्शियों व गवाहों के अनुसार खसरा नम्बर 2584/0.06 पर असरू पुत्र भौंदू के स्थान पर बिजेन्द्र पुत्र श्यामलाल जाति मल्हा, खसरा नम्बर 2584/0.02 पर कब्जे काश्त है। शेष रकबा 0.04 हैक्टर खसरा नम्बर 2639 में विलीन है। खसरा नम्बर 2635 रकबा 0.96 हैक्टर गैर मुम0 सडक रिकॉर्ड दर्ज है जबकि साविक खसरा नम्बर 352 कुल रकबा 0.45 है0 में से 0.13 हैक्टर , मुताबिक मिलान खसरा साविक खसरा नम्बर 1952/1/मिन/0.05 है। खसरा नम्बर 2635/0.96 हैक्टर गैरमुमकिन सडक में 0.05 हैक्टर असरू पुत्र भौंदू के दर्ज रिकॉर्ड है । चूंकि असरू पुत्र भौंदू खसरा नम्बर 2639/0.26 हैक्टर उत्तर पश्चिम दिशा में 0.11 हैक्टर में विराजमान हैं । इससे स्पष्ट होता है कि गैर0मुम0 सडक में असरू पुत्र भौंदू का रकबा नहीं है। अतः गैर मुम0 सडक खसरा नम्बर 2635 में असरू के स्थान पर अब्दुल पुत्र सुबान खां , आसब पुत्र कमरू, कमरू पुत्र सुबान खां, जाकर पुत्र सुबान खां , सुमरा पुत्र सुबान खां जाति मेव का हिस्सा आता है। चूँकि खसरा नम्बर 2639 रकबा 0.26 हैक्टर के पूर्वी में (हिस्से में) उपरोक्त काश्तकार मौजूद है। कब्जे काश्त हैं। खसरा नम्बर 2639 रकबा 0.26 हैक्टर रिकॉर्ड दर्ज है जबकि मौके पर रकबा 0.30 हैक्टर है। खसरा नम्बर 2639/0.30 हैक्टर में से उत्तर पश्चिम दिशा में असरू पुत्र भौदू 0.11 हैक्टर पर काबिज काश्त है, खसरा नम्बर 2639 के एक तिहाई हिस्से पर भगवत पुत्र केसर सिंह जाति सिक्ख साकिन कैथवाडा खातेदार स्थित है। मौके पर उपस्थित शेष रकबे में (सडक से सटा हुआ) अब्दुल, कमरू, जाकर,सुमरा, पिसरान सुबान खां, आसब पुत्र कमरू, जाति मेव निवासी कैथवाडा कब्जे काश्त है। खसरा नम्बर 2639 के रिकॉर्ड में स्थित बिजेन्द्र पुत्र श्याम लाल हिस्सा 1/12 कलमजन कर खसर नम्बर 2584 रकबा मौका 0.02 हैक्टर पर स्थित है। उभय पक्षकारान को मौका निरीक्षण की सूचना दी गई परन्तु आसीया वगैराह बाबजूद सूचना के मौका पर हाजिर नहीं आये मौका पर उपस्थित लोगो के हस्ताक्षर व अंगूठा कराये गये और मौका पर्चा पढकर सुनाया गया।

बहस वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा साविक खसरा सं0 1951/0.58 से निर्मित हाल खसरा सं0 2585/0.24, 2586/0.19, 2587/0.10, 2588/0.05 एवं साविक खसरा सं0 1952/0.45 से निर्मित हाल खसरा सं0 2639/0.26, 2584/0.06, 2635/0.13 में संशोधन चाहा गया है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड हाल खसरा संख्या 2585/0.24 प्रार्थी संख्या 01 मानसिंह, हाल खसरा संख्या 2586/0.19 प्रार्थी संख्या 02 बिजेन्द्र, हाल

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा संख्या 2587/0.10 अप्रार्थी रहीम खां वगै0, हाल खसरा संख्या 2588/0.05 अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 आशिया, सुलेमान के नाम दर्ज है। इसी प्रकार हाल खसरा संख्या 2584/0.06 अप्रार्थी संख्या 27 असरू, हाल खसरा संख्या 2639/0.26 अप्रार्थी कमरू खां वगै0, के नाम दर्ज है।

परन्तु मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट उक्त खसरा के रकबे एवं खातेदारों के कब्जे में मौके पर अन्तर है। मौके पर हाल खसरा सं0 2585 का रकबा 0.24 के स्थान पर 0.19, हाल खसरा सं0 2587 का रकबा 0.10 के स्थान पर 0.15, हाल खसरा सं0 2584 का रकबा 0.06 के स्थान पर 0.02 एवं हाल खसरा सं0 2639 का रकबा 0.26 के स्थान पर 0.30 है।

साथ ही साथ हाल खसरा संख्या 2588/0.05 अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 आशिया, सुलेमान के स्थान पर प्रार्थी संख्या 01 मानसिंह काबिज है। हाल खसरा संख्या 2587/0.10 अप्रार्थी रहीम खां वगै0 के साथ साथ अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 आशिया, सुलेमान भी काबिज है। हाल खसरा संख्या 2584/0.06 अप्रार्थी संख्या 27 असरू के स्थान पर प्रार्थी संख्या 02 बिजेन्द्र काबिज है। हाल खसरा संख्या 2639/0.26 पर प्रार्थी संख्या 02 बिजेन्द्र के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 27 असरू काबिज है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा से हाल खसरा निर्मित करते समय मौके एवं रकबे का ध्यान नहीं दिया गया है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा सं0 2585 का रकबा 0.24 है0 के स्थान पर 0.19 है0, आराजी खसरा सं0 2587 का रकबा 0.10 है0 के स्थान पर 0.15 है0, आराजी खसरा सं0 2584 का रकबा 0.06 है0 के स्थान पर 0.02 है0 एवं आराजी खसरा सं0 2639 का रकबा 0.26 है0 के स्थान पर 0.30 है0 शुद्ध किया जाता है। एवं आराजी खसरा सं0 2588 पर अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 आशिया, सुलेमान के नाम कलमजन कर के प्रार्थी संख्या 01 मानसिंह नाम दर्ज किया जाता है। हाल खसरा संख्या 2587 पर अन्य खातेदरों को 2/3 हिस्से में रखते हुए 1/3 हिस्से में अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 आशिया, सुलेमान का नाम दर्ज किया जाता है। आराजी खसरा सं0 2584 पर अप्रार्थी संख्या 27 असरू के नाम कलमजन कर के प्रार्थी संख्या 02 बिजेन्द्र का नाम दर्ज किया जाता है। आराजी खसरा सं0 2639 पर प्रार्थी संख्या 02 बिजेन्द्र का नाम कलमजन कर अन्य खातेदरों को 4/5 हिस्से में रखते हुए 1/5 हिस्से में अप्रार्थी संख्या 27 असरू का नाम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 25.11.2021 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 21/12/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner